

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(1)(1) / पंचा / रानिआ / 2019 / II / 6694

दिनांक: 02/09/2020

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत),
अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू,
दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली,
नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही एवं उदयपुर।

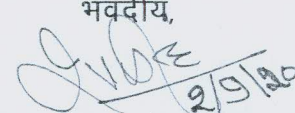
विषय:- निर्वाचन के दौरान कोविड-19 से बचाव हेतु गाईडलाईन भिजवाने के संबंध में।

महोदय,

आयोग द्वारा माह जनवरी, 2020 एवं मार्च, 2020 में 7463 ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच के आम चुनाव कराए गए थे। राज्य में कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए माह जनवरी एवं मार्च, 2020 में चुनाव से शेष रही ग्राम पंचायतों के आम चुनाव के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए आयोग द्वारा गाईडलाईन तैयार की गई है। तैयार की गई गाईडलाईन पत्र के साथ संलग्न है।

इस संबंध में निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि आम चुनाव से शेष रही ग्राम पंचायतों के निर्वाचन के दौरान उक्त गाईडलाईन की पूर्ण रूपेण पालना सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,


(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

पंचायतीराज संस्थाओं
(सरपंच, उपसरपंच एवं वार्ड पंच)
की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19
संक्रमण से बचाव हेतु गाईडलाईन

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
द्वितीय तल, विकास खण्ड,
सचिवालय, जयपुर

➤ सामान्य निर्देश

1. चुनाव कार्य में नियोजित प्रत्येक कार्मिक को मोबाईल में आरोग्य सेतु एप का उपयोग किये जाने हेतु पाबन्द किया जाए।
2. चुनाव कार्य में नियोजित प्रत्येक कार्मिक को फेस मास्क लगाना आवश्यक होगा।
3. निर्वाचन हेतु प्रशिक्षण एवं मतदान दल की रवानगी के समय इस कार्य में नियोजित प्रत्येक कार्मिक के तापमान की जांच थर्मल स्कैनर से की जाए।
4. चुनाव कार्य हेतु चयनित प्रशिक्षण स्थल एवं प्रत्येक मतदान केन्द्र को उपयोग में लिए जाने से पूर्व आवश्यक रूप से सैनेटाइज करवाया जाए।
5. सार्वजनिक स्थान पर थूकना एवं पान, गुटका, तम्बाकू आदि का खाना केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।

➤ नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति :-

1. पंचायत समिति स्तर पर ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल आधिकारी नियुक्ति किया जाए। नोडल अधिकारी निर्वाचन के दौरान कोविड-19 से बचाव हेतु सभी आवश्यक उपाय किया जाना सुनिश्चित करेगा। उक्त नोडल अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर निर्वाचन में नियोजित सभी अधिकारी/कार्मिकों को उपलब्ध कराए जाएं।
2. कोविड-19 से बचाव हेतु संबंधित समस्त प्रबन्ध उक्त नोडल अधिकारी की निगरानी एवं जानकारी में किये जाएंगे।

➤ ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच

1. ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच यथा संभव बड़े हॉल में की जावे जिससे ईवीएम के FLC कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जा सके। उक्त हॉल को उपयोग में लेने से पूर्व सैनेटाइज किया जाए।
2. ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच के लिए आने वाले इंजीनियर्स का कोविड-19 जांच कराने के उपरान्त ही FLC कार्य में नियोजित किया जाए।
3. ईवीएम की FLC कार्य में नियोजित किये जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सैनेटाइज करने के उपरान्त ही हॉल में प्रवेश दिया जाए।
4. ईवीएम FLC स्थल पर आने व्यक्तियों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा।
5. FLC के बाद निर्वाचन हेतु मतदान मशीन (EVM) तैयार करते समय भी उक्त प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।

➤ नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, संवीक्षा एवं नाम वापसी :-

1. रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए साबुन, पानी एवं सैनेटाइजर की व्यवस्था होगी।
2. नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। मास्क के बिना रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए केवल अभ्यर्थी एवं उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। अन्य अभ्यर्थियों एवं उनके साथ आने वाले व्यक्तियों को प्रतीक्षा हेतु कक्ष के बाहर बैठाने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए जिससे उचित सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना हो सके।
4. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से नाम निर्देशन पत्र डाउनलोड कर उसका उपयोग कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।
5. नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियत समय में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को उनके आने के क्रम के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची दिये जाने के पश्चात एक बड़े हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुये बैठाया जाए एवं उक्त क्रम में ही अभ्यर्थियों को एक एक करके रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश दिया जाए।
6. नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा बड़े हॉल में की जाएगी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जा सके। संवीक्षा में प्रथमतः सरपंच पद के उम्मीदवारों/निर्वाचन अभिकर्ता को प्रवेश दिया जाएगा।
7. सरपंच पद की संवीक्षा उपरान्त हॉल खाली होने पर एक बार में केवल एक वार्ड के अभ्यर्थियों को संवीक्षा हेतु बुलाया जाए। इस प्रक्रिया का सभी वार्डों की संवीक्षा के दौरान अनुपालन किया जाए।
8. नाम वापसी के समय पर भी एक बार में एक ही व्यक्ति को रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश हेतु अनुमति दी जाए।
9. नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिखित में इस आशय की सूचना (Notice) दी जायेगी कि परिणाम की घोषणा के बाद यदि कोई जुलूस, रैली या सभा आयोजित की जाती है तो कोविड-19 के संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाइन्स की पालना किया जाना आवश्यक होगा। यदि केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी गाईडलाइन का उल्लंघन किया जाता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 एवं

तत्समय प्रभाव अन्य विधियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। ऐसी सूचना (Notice) की दूसरी प्रति पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

➤ **मतदान कार्मिकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण :-**

1. मतदान कार्य हेतु 55 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिकों, को यथा संभव नियुक्त नहीं किया जाए किन्तु यदि आवश्यक हो तो इन्हें आरक्षित दल में रखा जा सकता है। इसके साथ ही गम्भीर रोगों से ग्रसित कार्मिक जिनके कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका अधिक है, को चुनाव कार्य में नियोजित नहीं किया जाए। किन्तु इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को ही मान्य किया जाए। स्वतः के अलावा गर्भवती महिलाओं (Pregnent women) एवं धात्री माँ (Lactating mothers) को नियुक्त नहीं किया जाए।
2. प्रशिक्षण स्थल पर हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी तथा सैनेटाईज करने की माकूल व्यवस्था की जाए।
3. प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा।
4. मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण में प्रशिक्षण स्थल की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षणार्थियों को चरणवार बुलाया जाए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके।
5. प्रशिक्षण में उपयोग में आने वाली सामग्री को भी सैनेटाईज कर उपयोग में लिया जाए।

➤ **मतदान दलों की रवानगी :-**

1. मतदान दलों की रवानगी पंचायत समिति मुख्यालय अथवा उपखण्ड अधिकारी मुख्यालय जो भी सुविधाजनक हो, से की जाए।
2. मतदान दलों की रवानगी के दौरान भी रवानगी स्थल की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए मतदान दलों को अलग-अलग सत्रों में बुलाया जाए एवं तदनुसार ही मतदान दलों को रवाना किया जाए।
3. मतदान दल के प्रत्येक सदस्य के लिए पर्याप्त मात्रा में मास्क, ग्लव्स उपलब्ध कराए जाए। इस सामग्री की गुणवत्ता एवं विशिष्टता (Quality and Specifications) का निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के परामर्श से किया जाए।
4. मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं मतदान दलों की रवानगी के समय सभी कार्मिक को यह स्पष्ट निर्देश प्रदान किए जाए कि वे मतदान के दौरान पूरे समय मास्क एवं ग्लव्स का उपयोग करेंगे।
5. मतदान दल को एक लीटर सैनेटाईजर स्प्रे की बोतल उपलब्ध कराई जाए।

6. मतदान दल की रवानगी से पूर्व प्रत्येक कार्मिक एवं वाहन चालक की मेडिकल टीम द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की जाए।
7. मतदान दलों को उनके गंतव्य मतदान केन्द्र के लिए रवाना करने से पूर्व एवं मतदान पश्चात उनकी वापसी से पूर्व उपयोग में लिए जा रहे वाहन को समुचित रूप से सैनेटाईज किया जाए।

➤ **चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार :-**

1. अभ्यर्थियों द्वारा अनुमत तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी गाईडलाइन की पूर्ण रूपेण पालना की जाएगी।
2. अभ्यर्थियों द्वारा अनुमत तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी गाईडलाइन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 एवं तत्समय प्रभावी अन्य विधियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
3. अभ्यर्थियों द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार के समय पांच व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होना चाहिए।

➤ **मतदान दिवस :-**

1. मतदान केन्द्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा, केवल मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर ही मास्क हटाया जा सकेगा।
2. मतदान दिवस पर मतदान के लिए आने वाले प्रत्येक मतदाता को बूथ में प्रवेश से पहले सैनेटाईज करने के पश्चात् ही मतदान के लिए कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा।
3. सैनेटाईज करने का कार्य मतदान दल में नियुक्त एक अतिरिक्त पुलिसकर्मी/होमगार्ड/सिविल डिफेंस/एनसीसी द्वारा संपन्न किया जाएगा। इसके द्वारा ही मतदान के लिए लाइन में लगे मतदाताओं में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
4. मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के मतदान करने हेतु यथासंभव तीन पंक्तियाँ पुरुष, महिला एवं दिव्यांगजनों/वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक-पृथक होंगी।
5. प्रत्येक पंक्ति में मतदाताओं के लिए 6 फीट (दो गज) की दूरी पर खड़े रहने हेतु पूर्व से ही गोले निर्धारित किये जाएंगे जहाँ प्रत्येक मतदाता मतदान हेतु अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे। गोलों की संख्या से अधिक मतदाताओं को मतदान भवन से बाहर रखा जायेगा।
6. संक्रमण से बचाव के लिए मतदान बूथ पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेन्ट तथा मतदान कर्मियों की बैठने की व्यवस्था सोशल

डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए की जाए। परन्तु यदि मतदान कक्ष की संरचना ऐसी है जिसमें अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेंट्स (Polling Agents) को अन्दर बैठाने से सामाजिक दूरी की पालना संभव नहीं है तो उन्हें कक्ष से बाहर इस तरह बैठाया जायेगा की कक्ष के अन्दर की कार्यवाही उनके द्वारा देखी जा सके और आवश्यकता पडने पर पीठासीन अधिकारी से बात की जा सके।

7. मतदान केन्द्र पर मतदान दल एवं मतदाताओं द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतु जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जाए।
8. मतदान के दौरान मतदान दल में नियुक्त किसी भी कार्मिक को कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर ऐसे कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से अन्य कार्मिकों से अलग कर दिया जाए। नोडल अधिकारी द्वारा ऐसे कार्मिक का कोविड परीक्षण करवाया जावे। परीक्षण के परिणाम की सूचना संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जाए।
9. अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर बनाये जाने वाले बूथ पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी एवं मतदाताओं की सहायता के कार्य में संलग्न व्यक्तियों द्वारा पूरे समय मास्क का उपयोग किया जायेगा। ऐसे बूथ पर अनावश्यक भीड नहीं हो इसके लिए एक बार में केवल एक मतदाता ही खडा हो सकेगा। कोविड-19 के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन की पालना की जायेगी। इन बूथों पर किसी भी तरह की प्रचार सामग्री नहीं रखी जायेगी।

➤ **मतगणना :-**

1. मतगणना स्थल पर रिटर्निंग अधिकारी, मतदान दल के सदस्य एवं प्रवेश करने के लिए अनुमत व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
2. मतगणना कार्य हेतु यथा संभव बडे हॉल/स्थान का चयन किया जाए, जिससे मतदान कार्य में नियोजित कार्मिकों एवं अथ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ताओं के मध्य उचित दूरी रह सके।
3. पहले सरपंच पद की मतगणना की जाएगी इसके पश्चात अभ्यथियों/एजेन्टों को बाहर भेजा जाएगा तत्पश्चात एक बार में केवल एक वार्ड के अभ्यर्थियों को मतगणना हॉल में प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रक्रिया का सभी वार्डों की मतगणना के दौरान अनुपालन किया जाएगा।
4. चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों के मतगणना एजेन्टों के बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि उन्हें कन्ट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित हो रहे परिणामों को देखने में सुविधा हो।

➤ **उपसरपंच का चुनाव:-**

1. उपसरपंच के चुनाव के लिए मीटिंग हेतु एक बड़े कक्ष/हॉल का चयन वार्ड पंचों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा ताकि रिटर्निंग अधिकारी एवं मतदान दल के सदस्य समस्त पंच एवं सरपंच के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके।
2. उपसरपंच के निर्वाचन की बैठक में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
3. उपसरपंच के निर्वाचन की बैठक में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को सैनेटाइज करने के पश्चात ही कक्ष/हॉल में प्रवेश दिया जाएगा।
4. बैठक में उपयोग में ली जाने वाली समस्त सामग्री को भी सैनेटाइज किया जाएगा।

➤ **ईवीएम एवं मतदान सामग्री का संग्रहण :-**

1. मतदान सामग्री संग्रहण स्थल पर साबुन, पानी एवं सैनेटाइजर की माकूल व्यवस्था की जाए।
2. मतदान के पश्चात् ईवीएम एवं अन्य मतदान सामग्री के संग्रहण कार्य में भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जाए तथा इस हेतु नियुक्त कार्मिकों द्वारा आवश्यक रूप से मास्क का उपयोग किया जाए।
3. मतदान सामग्री जमा कराने हेतु प्रत्येक काउण्टर पर कार्मिकों के लिए कतार में खड़े होने के लिए 6 फीट (दो गज) की दूरी पर गोले बनाए जाए।
4. इस दौरान यदि आवश्यकता पड़े तो अतिरिक्त पुलिसकर्मी को नियुक्त किया जाए ताकि वे मतदान सामग्री जमा कराने वाले कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कतार बनाए रखें।

- नोट:-**
1. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोग के बजट मद से रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय, प्रशिक्षण स्थल, मतदान दलों की रवानगी स्थल, मतदान केन्द्र, मतगणना केन्द्र एवं निर्वाचन के पश्चात् उपसरपंच के निर्वाचन एवं सामग्री संग्रहण स्थल पर पर्याप्त मात्रा में सैनेटाइजर, साबुन एवं पानी की व्यवस्था की जायेगी।
 2. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दल के सदस्यों के ठहरने की व्यवस्था करते समय यह ध्यान रखा जाए कि मतदान दल के सदस्यों में उचित सामाजिक दूरी रहें एवं ठहरने के स्थान पर स्वच्छता एवं सफाई का पूर्ण ध्यान रखा जाए।